उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–39/2022–23

मन्टु महतो

बनाम्

देवेन्द्र मंडल एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मन्टु महतो, पे0– स्व0 सुदन महतो, सा0–धरमुडीह, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–92/1981 (बाबूलाल मंडल बनाम् मो0 सोनिया) के आदेश दिनांक–03.05.1982 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के संबंध में कहा गया कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। इसलिए उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन में उल्लेख है कि मौजा–धरमूडीह नं0–520, जमाबंदी सं0–56, गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 मुलिया जौजे जेठु महतो के नाम से दर्ज है। लेकिन मुटेशन आवेदन में चुटर महतो को जमाबंदी रैयत का पुत्र बताते हुए जमाबंदी सं0–56 की जमीन पर दखलकार दिखाया गया है। जबकि चुटर महतो जमाबंदी रैयत मो0 मुलिया का पुत्र नहीं है। जमाबंदी रैयत मो0 मुलिया का एक मात्र पुत्र तुफानी महतो था। मो0 सोनिया तुफानी महतो की पत्नि है न कि चुटर महतो की। इसलिए मौजा–धरमूडीह के जमाबंदी सं0–56 के दाग नं0–1043 रकवा 00–06–01 धुर एवं दाग नं0–1039 रकवा 00–01–10 धुर जमीन कुर्फानामा से चुटर महतो को देने का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। उत्तरवादी बाबूलाल मंडल ने जमाबंदी रैयत के फर्जी पुत्र चुटर महतो के नाम से फर्जी कुर्फानामा तैयार कर गलत तरीके से मौजा–धरमूडीह के जमाबंदी सं0–56 के दाग नं0–1043 एवं दाग नं0–1039 की जमीन का मुटेशन करा लिया है। अपील आवेदन में आगे उल्लेख है कि मुटेशन आवेदन में मो0 सोनिया को पक्षकार बनाया गया है, जिसका पति चुटर महतो दिखाया गया है। लेकिन मो0 सोनिया को नोटिश भी नहीं किया गया है। मो0 सोनिया तुफानी महतो की पत्नि है।

चुटर महतो को उक्त जमाबंदी की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उक्त जमीन पर उत्तरवादी बाबूलाल मंडल को दखल दिहानी अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के साथ मो0 मुलिया के वंशज दखल कब्जा में चला आ रहा है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी के नाम से किया गया मुटेशन सही नहीं है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नं0–92/1980–81 के आदेश दिनांक–03.05.1980 को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नामांतरण के लिए दिनांक–02.01.1981 को आवेदन दायर किया गया था एवं अंतिम आदेश दिनांक–26.06.1982 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार नामांतरण आदेश सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है एवं अपीलकर्त्ता के पूर्वज को इस आदेश की जानकारी थी। फिर भी अपीलकर्त्ता के द्वारा 41 वर्ष बीतने के बाद वर्तमान अपील वाद दायर किया है। इसलिए कालवाधित होने के कारण वर्तमान अपील वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नामांतरण आदेश पारित करने के पूर्व विधिवत से मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया था। किसी तरह का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ था एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा भी प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि मौजा–धरमूडीह के जमाबंदी सं0–56 दाग नं0–1043 एवं 1039 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 मुलिया पति जेठु महतो के नाम से दर्ज है। उक्त दाग नं0–1043 एवं 1039 के अन्तर्गत रकवा 00–07–11 धुर जमीन उत्तरवादी बाबूलाल मंडल, पे0–शिबू मंडल को कुर्फा के द्वारा प्राप्त है एवं मकान एवं खलियान के रूप में बाबूलाल मंडल उसपर दखलकार है। उनका आगे कहना है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उक्त जमाबंदी की जमीन पर चुटर महतो जो तुफानी महतो के नाम से भी जाने जाते थे, के दखल कब्जा में आया। चुटर महतो के माता ने ही उक्त जमीन कुर्फानामा के द्वारा उत्तरवादी बाबूलाल मंडल को दिया था। बाबूलाल मंडल उसपर मकान बनाकर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। बाबूलाल मंडल के पुत्रों का भी जन्म उसी मकान पर हुआ था। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी उत्तरवादी बाबूलाल मंडल का नाम दर्ज है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने

अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–धरमूडीह नं0–520, जमाबंदी सं0–56 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मु0 मुलीया जौजे–जेठु महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1043 रकवा 00–06–01 धुर एवं दाग नं0–1039 रकवा 00–01–10 धुर जमीन उत्तरवादी बाबूलाल मंडल ने कुर्फानामा के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं उसी कुर्फानामा के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी बाबूलाल मंडल के नाम से नामांतरण किया गया है। लेकिन चुँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार रैयती जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के मुटेशन केश नं0–92/80–81 में दिनांक–03.05.1982 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 20/12/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 20/12/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:23:10 +05:30
Location: 192.168.1.50